कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा, म0प्र0 शासन,
सतपुड़ा भवन भोपाल

क्रमांक 358/1006/आउशि/शा–1/2018, भोपाल, दिनांक 15/04/2019

प्रति,

1– कुल सचिव,
समस्त शासकीय/अशासकीय विश्वविद्यालय,
मध्यप्रदेश

2– प्राचार्य,
समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश

विषयः–स्वीप गतिविधियों के प्रचार–प्रसार हेतु कार्यवाही बाबत्।

सन्दर्भः–1–उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश में बैठक दिनांक 12.04.19
2–आयुक्त,कार्या.का पत्र क्रं. 356/1006/आउशि/शा–1/2019,दिनॉक 15.04.2019.

——00——

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित बैठक के पालन में आपको निर्देशित किया जाता है, कि स्वीप पार्टनर के तहत मतदाता जागरूकता गतिविधियों के प्रचार प्रसार हेतु निम्नानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

1. सभी महाविद्यालय मतदाताओं को मतदान हेतु जागरूकता से संबंधित पोस्टर बनाकर प्रदर्शित करना।
2. कैम्पस एम्बेसेडर के माध्यम से विशेष कैम्प लगाकर जनता को मतदान हेतु जागरूक करना।
3. मतदाता सत्यापन एवं सूचना कार्यक्रम (VVIP-Voter Verification and information Programme) का प्रचार–प्रसार एवं कियान्वयन। # Go- Verify तथा वोटर हेल्पलाईन का प्रचार–प्रसार करना। (राज्य स्तरीय हेल्पलाईन–1950, राष्ट्रीय हेल्पलाईन–1800111950)
4. प्रत्येक संगठन/कार्यालय के स्तर पर मतदाता जागरूकता फोरम (VAF) का गठन किया जावे।
5. प्रत्येक कार्यालय के कर्मचारियों को मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने हेतु प्रोत्साहित किया जाना। पंजीकृत स्दस्यों को एनवीएसपी पोर्टल (WWW.nvsp.in) के माध्यम से मतदाता सूची में नाम की जॉच करना एवं पंजीकरण कराने के संबंध में प्रशिक्षित करना।
6. सभी अधीनस्थ कार्यालयों में मतदाता जागरूकता एवं शत–प्रतिशत मतदान हेतु अनुमोदित होर्डिंग्स लगाये जाये।
7. यथा स्थान मतदाता जागरूकता हेतु दीवारों पर स्लोगन्स अंकित कराये जाये।
8. मतदाता जागरूकता के अन्तर्गत आयोग द्वारा अनुमोदित जिंगल्स, ऑडियों प्रोमो इत्यादि का प्रसारण किया जाये।
9. कार्यालयों में स्थित डिस्पले सिस्टम के माध्यम से आयोग द्वारा अनुमोदित विडियो/लघु फिल्म् का प्रसारण किया जावे।(सामग्री आयोग की वेवसाइट पर उपलब्ध है)
10. मतदाता जागरूकता से संबंधित विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञों से बातचीत, समूह चर्चा, संवाद इत्यादि कार्यक्रम प्रसारित किये जावें।
11. कार्यालय द्वारा किये जाने वाले पत्राचार में पत्रों के फुटर में मतदाता जागरूकता के आयोग द्वारा अनुमोदित स्लोग्न अंकित किये जावें।
12. सूचना/पत्र/विज्ञापन/बिल इत्यादि में मतदाता जागरूकता संबंधी अपील की जावें।

अतः कार्यक्रमों की जानकारी गूगल प्रपत्र में दि.24.04.2019 तक दर्ज कराने का अनुरोध है।

(डॉ. ए.एस.यादव)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक 359/1006/आउशि/शा–1/2018, भोपाल, दिनांक 15/04/2019

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल में बैठक दिनांक 12.04.19 में प्राप्त निर्देश के संबंध में सूचनार्थ।
2. स्टॉफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. निज सहायक, आयुक्त उच्च शिक्षा म.प्र.।
4. निज सहायक, मान. कुलपति समस्त विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश कृपया, आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश देना चाहे।
5. समस्त अतिरिक्त संचालक क्षेत्रीय कार्यालय, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश की ओर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
6. ओ.एस.डी. आई.टी. उच्च शिक्षा, कृपया वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश